9-5-14 वकील उभयपक्ष उप० है। प्रतिवादी नं० 4, 5, 14, 15, 16 की तलबी को जाकर पत्रावली दि० 21-5-2014 को पेश हो।

21-5-14 वकील उभयपक्ष उप० है। प्रतिवादी नं० 14 स्वयं उप० है। प्रतिवादी नं० 4 की ओर से श्री तरूण शर्मा एड० ने, प्रतिवादी नं० 5 की ओर से श्री गोपेश शर्मा एड० ने वकालतनामा पेश किया। प्रति० सं० 16 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है अतः प्रतिवादी नं० 16 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं० 15 के सम्मन पर उसके जयपुर रहने की रिपोर्ट आई है। अतः वादी प्रतिवादी नं० 15 को सही पते पर पुनः तामील करावे। पत्रावली दि० 18-6-2014 को पेश हो।

18-6-14 वकील उभयपक्ष उप० है। वास्ते जवाब दावा व वास्ते तलबी प्रतिवादी नं० 15 पत्रावली दि० 30-7-14 को पेश हो।

30-7-14 पत्रावली पेश हुई / अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब दौरे पर / अवकाश पर / अन्य कार्यो मे व्यस्त है। पत्रावली दि० 10-9-14 को पेश हो।

रीडर

10-9-14 पत्रावली पेश हुई / अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब दौरे पर / अवकाश पर / अन्य कार्यो मे व्यस्त है। पत्रावली दि० 29-10-14 को पेश हो।

रीडर

29.10.14 वकील उभयपक्ष उप० वास्ते जवाब दावा व वास्ते तलबी प्रतिवादी नं० 15 पत्रावली दि० 3.12.14 को पेश हो।

3-12-14 वकील उभयपक्ष उप० है। प्रतिवादी नं० 12, 13 की ओर से जवाब दावा, प्रतिवादी नं० 4 की ओर से जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। प्रतिवादी नं० 5 के वकील जवाब पेश करने को समय चाहते हैं, अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते जवाब काउन्टर क्लेम प्रति० नं० 4, वास्ते जवाब प्रतिवादी नं० 5, वास्ते तलबी प्रतिवादी नं० 14, 15 पत्रावली दि० 6-1-15 को पेश हो।

6-1-15 | ... उपस्थित है। केवल P.O. ... है। ~~... है ...~~ ~~... है। अतः~~ पत्रावली दि० 3-3-15 को पेश हो।

रीडर

14-1-2015 | वादीया के वकील के आवेदन पर पत्रावली पेश हुई। वादिया के वकील ने प्रा०पत्र इस आशय का पेश किया है कि दोनो पक्षो में राजीनामा हो गया है अतः बरूए राजीनामा दावा खारिज फरमाया जावे।

इसी प्रकार प्रतिवादिया सम्पो ने भी एक प्रा०पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि लोक अदालत की भावना से पक्षकारो मे राजीनामा हो गया है अतः प्रतिवादिया का काउन्टर क्लेम, दावा खारिज फरमाया जावे।

दोनों पक्षों के वकीलों को सुना गया। दोनो पक्षों के वकीलो ने पक्षकारो में लोक अदालत की भावना से राजीनामा होना बताया है एवं प्रस्तुत वाद व काउन्टर क्लेम खारिज करने का निवेदन किया है। अतः दोनो पक्षों के अनुरोध पर वादिया का दावा व प्रतिवादिया सम्पो का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी